"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 309] रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 जुलाई 2017 — आषाढ़ 31, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-53/2017/वाक/पांच (97). — राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) के अंतर्गत कार्यरत्, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को सारणी के संबद्ध कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट पदनामों पर उक्त अधिनियम के प्रयोजनों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के लिए नियुक्त करती है :-

सारणी

अ. क्र. (1)	अधिकारियों का पदनाम (छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005) में विनिर्दिष्ट अनुसार (2)	अधिकारियों का पदनाम (छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर, 2017) में विनिर्दिष्ट अनुसार (3)
1.	आयुक्त, वाणिज्यिक कर	राज्य कर आयुक्त
2.	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर	राज्य कर अपर आयुक्त
3.	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर	राज्य कर संयुक्त आयुक्त
4.	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर	राज्य कर उपायुक्त
5.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	राज्य कर सहायक आयुक्त
6.	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	राज्य कर अधिकारी
7.	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	राज्य कर निरीक्षक

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रभावशील मानी जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2017

क्रमांक एफ-10-53/2017/वाक/पांच (97).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-53/2017/वाक/पांच (97), दिनांक 14-7-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 14th July 2017

NOTIFICATION

No. F-10-53/2017/CT/V (97).— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017), Government, hereby, appoint the classes of officers mentioned in the column No. (2) of the following table and functioning under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) as officers with corresponding designations in column (3) of the table for the purpose of said Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 :-

TABLE

S. No. (1)	Designation of officers (as specified in Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005) (2)	Designation of officers (as specified in Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017) (3)
1.	Commissioner, Commercial Tax	Commissioner of State Tax
2.	Additional Commissioner, Commercial Tax	Additional Commissioner of State Tax
3.	Deputy Commissioner, Commercial Tax	Joint Commissioner of State Tax
4.	Assistant Commissioner, Commercial Tax	Deputy Commissioner of State Tax
5.	Commercial Tax Officer	Assistant Commissioner of State Tax
6.	Assistant Commercial Tax Officer	State Tax Officer
7.	Commercial Tax Inspector	Inspector of State Tax

2. This notification shall be deemed to have come into force from 1st July, 2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.